"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2011—आश्विन 29, शक 1933

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्रमांक 30/2698/2010/1-8/स्था.—श्री ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 21-12-2010 से 27-12-2010 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. टोप्पो को सामान्य प्रशासन विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2011

क्रमांक 58/1111/2010/1-8/स्था.—श्री जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 24-12-2010 से 1-1-2011 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जेवियर केरकेट्टा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा; जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जेवियर केरकेट्टा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2011

क्रमांक 60/03/2011/1-8/स्था.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 10-1-2011 से 14-1-2011 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2011

क्रमांक 208/48/अव./2011/1-8/स्था.—श्री डी. के. माथुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 3-2-2011 से 11-2-2011 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. माथुर को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2011

क्रमांक 210/65/अव./2011/1-8/स्था.—श्री संजय कनकने, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 31-1-2011 से 5-2-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संजय कनकने को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कनकने अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एल. डी. चोपड़े**, अवर सचिव.

---

## विधि एवं विधायी विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. 7159/2403/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गौरांगो सिंह, अधिवक्ता, अंबिकापुर जिला-सरगुजा (अंबिकापुर) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक अंबिकापुर (सरगुजा) नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. 7161/2403/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गौरांगो सिंह जिला-सरगुजा (अंबिकापुर) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक अंबिकापुर (सरगुजा) नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. 7163/2403/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री आशीष कुमार गुप्ता, अधिवक्ता, अंबिकापुर जिला-सरगुजा (अंबिकापुर) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक अंबिकापुर (सरगुजा) नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. 7165/2403/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री आशीष कुमार गुप्ता जिला-सरगुजा (अंबिकापुर) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक अंबिकापुर (सरगुजा) नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. 7167/2403/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल, अधिवक्ता, अंबिकापुर जिला-सरगुजा (अंबिकापुर) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए लोक अभियोजक सरगुजा (अंबिकापुर) नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. 7169/2403/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल अधिवक्ता, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (अंबिकापुर) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए शासकीय अभिभाषक सरगुजा (अंबिकापुर) नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.**

## योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

**मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर**

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2011

**क्रमांक एफ 4-7/2011/23/वियो.**—सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक L-11015/7-1/2008-ESD-VIEC दिनांक 21 मार्च, 2011 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत छठवीं आर्थिक गणना को सुचारू रूप से समयावधि में सम्पन्न कराने हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | अध्यक्ष | — | मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन |
| 2. | सदस्य | — | अपर मुख्य सचिव, वन एवं तकनीकी शिक्षा |
| 3. | सदस्य | — | अपर मुख्य सचिव, जन शिकायत निवारण |
| 4. | सदस्य | — | प्रमुख सचिव, खाद्य एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग |
| 5. | सदस्य | — | प्रमुख सचिव, कृषि, सहकारिता विभाग |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | सदस्य | — | प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना |
| 7. | सदस्य | — | प्रमुख सचिव, गृह, जेल, परिवहन व जल संसाधन विभाग |
| 8. | सदस्य | — | प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा एवं लोक निर्माण विभाग |
| 9. | सदस्य | — | प्रमुख सचिव, जनसंपर्क/आवास पर्यावरण |
| 10. | सदस्य | — | प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग |
| 11. | सदस्य | — | सचिव, ग्रामोद्योग विभाग |
| 12. | सदस्य | — | सचिव, उच्च शिक्षा विभाग |
| 13. | सदस्य | — | सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग |
| 14. | सदस्य | — | सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग |
| 15. | सदस्य | — | सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सचिव |
| 16. | सदस्य | — | विमानन एवं लो. स्वास्थ्य यांत्रिकी |
| 17. | सदस्य | — | सचिव, खेल, युवा कल्याण, पर्यटन/संस्कृति |
| 18. | सदस्य | — | सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग सार्व. उपक्रम |
| 19. | सदस्य | — | सचिव, आदिमजाति कल्याण विभाग |
| 20. | सदस्य | — | सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
| 21. | सदस्य | — | सचिव, ऊर्जा विभाग |
| 22. | सदस्य | — | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि |
| 23. | सदस्य सचिव | — | संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग |

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 4-7/2011/23/वियो.—सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक L-11015/7-1/2008-ESD-VIEC दिनांक 21 मार्च, 2011 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत छठवीं आर्थिक गणना को सुचारू रूप से समयावधि में सम्पन्न कराने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | अध्यक्ष | — | जिला कलेक्टर |
| 2. | सदस्य | — | जिला पुलिस अधीक्षक |
| 3. | सदस्य | — | आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी |
| 4. | सदस्य | — | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत |
| 5. | सदस्य | — | वन मण्डल अधिकारी |
| 6. | सदस्य | — | जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी |
| 7. | सदस्य | — | जिला शिक्षा अधिकारी |
| 8. | सदस्य | — | उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा |
| 9. | सदस्य | — | जिला पंजीयक, सहकारी समिति |
| 10. | सदस्य | — | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र |
| 11. | सदस्य | — | उप संचालक, महिला एवं बाल विकास |
| 12. | सदस्य | — | जिला पशु चिकित्सा अधिकारी |
| 13. | सदस्य | — | कार्यपालन अभियंता, छ.ग. राज्य विद्युत मंडल |
| 14. | सदस्य | — | जिला जनसंपर्क अधिकारी |
| 15. | सदस्य | — | उप संचालक, कृषि |
| 16. | सदस्य | — | सहायक संचालक, उद्यानिकी |
| 17. | सदस्य | — | सहायक संचालक, मत्स्योद्योग |
| 18. | सदस्य सचिव | — | जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, सचिव.

## श्रम विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2011

### शुद्धि पत्र

क्रमांक एफ 10-20/2010/16.—इस विभाग के अधिसूचना दिनांक 12-08-2010 द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (क्रमांक 33 सन् 2008) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नियम बनाये गये हैं. उक्त नियम के हिन्दी प्ररूप-1 में कोष्ठक में (नियम 13 देखें) के स्थान पर (नियम 12 देखें) पढ़ा जाय.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 10-1/2006/16.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05-09-2008 द्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों विनियमन) नियम 2008 के नियम 251 के अनुसार समिति का गठन किया गया था. उक्त समिति में श्री मोहन एंटी को छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पदेन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था. राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों विनियमन) नियम 2008 के नियम 252 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार श्री मोहन एंटी को छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पदेन अध्यक्ष पद पर आदेश जारी होने के दिनांक से पुनर्नियुक्ति प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-70/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा धमतरी के राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र एवं कांकेर के राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले श्रम न्यायालय, धमतरी का गठन करती है, तथा क्रमशः श्रम न्यायालय, रायपुर एवं जगदलपुर से उक्त जिला वापस लेती है.

No. F 1-70/2010/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) the State Government hereby Constitutes Labour Court, Dhamtari having Jurisdiction in the local area comprised within the limits of Revenue District of Dhamtari and local area comprised within the limits of Revenue District of Kanker and withdraws the same from Labour Court, Raipur and Jagdalpur respectively.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-70/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा जांजगीर-चांपा के राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले श्रम न्यायालय, जांजगीर-चांपा का गठन करती है, तथा श्रम न्यायालय, बिलासपुर के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उक्त जिला वापस लेती है.

No. F 1-70/2010/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) the State Government hereby Constitutes Labour Court, Janjgir-Champa having Jurisdiction in the local area comprised within the limits of Revenue District of Janjgir-Champa and withdraws the same from territorial jurisdiction of Labour Court, Bilaspur.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-16/2011/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8 की उपधारा 1 एवं 2 एवं धारा 8अ की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर जिले के लिए एक अतिरिक्त श्रम न्यायालय का गठन करता है और उसे अधिकृत करता है कि उक्त न्यायालय, अग्रिम आदेश पर्यन्त, उन प्रकरणों का निराकरण करें जो कि उसे रायपुर के श्रम न्यायालय की मुख्य पीठ द्वारा स्थानांतरित किये जायें, एवं,

2. उक्त अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायपुर के रूप में श्री एस. एल. मात्रे को एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

No. F 1-16/2011/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 & 2 of section 8 and sub-section 2 of section 8 (A) of The Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 the State Govt. hereby constitutes an additional Labour Court for Raipur Distt. having Jurisdiction over the cases transferred to it from time to time from the Principal Labour Court of Raipur till further orders, and,

2. Appoints & posts Shri S. L. Matre as Presiding Officer of the said Additional Labour Court, Raipur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. डी. कुंजाम**, उप-सचिव.

---

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/301.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | नगझर प.ह.नं. 11 | 0.137 | कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया. | नगझर सब माइनर नहर निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ब्रजेश चन्द्र मिश्र**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक/5477/कले/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू हाते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| उत्तर बस्तर कांकेर | दुर्गूकोंदल | आमागुहान (दमकसा) | 6.06 | तहसीलदार, दुर्गूकोंदल | नवीन पुलिस चौकी खोलने बाबत. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**निर्मल कुमार खाखा**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./11/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल | | | |
| | | | खसरा नं. | रकबा (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| रायपुर | तिल्दा | बेमता प. ह. नं. 01 | 150/1 | 0.081 | कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक-03, तिल्दा, जिला-रायपुर. | भूमिया वितरक के नहर के भूमिया टेल माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन. |
| | | योग | 1 | 0.081 | | |

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल | | | |
| | | | खसरा नं. | रकबा (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| रायपुर | बलौदाबाजार | रिसदा प. ह. नं. 14 | 163 | 0.247 | जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर. | मे. ईमामी सीमेंट लिमिटेड रिसदा को औद्योगिक प्रयोजन हेतु. |
| | | | 166 | 0.243 | | |
| | | | 169 | 0.327 | | |
| | | | 172 | 0.202 | | |
| | | | 228/2 | 0.355 | | |
| | | | 142/2 | 0.113 | | |
| | | | 208/2 | 0.130 | | |
| | | | 142/3 | 0.170 | | |
| | | | 196/1 | 0.129 | | |
| | | | 205/1 | 0.101 | | |
| | | | 205/3 | 0.148 | | |
| | | | 205/6 | 0.171 | | |
| | | | 206 | 0.235 | | |
| | | | 562/1 | 0.091 | | |
| | | | 562/2 | 0.091 | | |
| | | | 231/11 | 0.405 | | |
| | | | 231/12 | 0.405 | | |
| | | | 231/13 | 0.405 | | |
| | | | 231/14 | 0.405 | | |
| | | | 231/15 | 0.405 | | |
| | | | 231/16 | 0.405 | | |
| | | | 231/17 | 0.405 | | |
| | | | 231/18 | 0.405 | | |
| | | | 212/3 | 0.089 | | |
| | | **योग** | **24** | **6.082** | | |

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्रमांक/499/1/भू-अर्जन/वा./वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल | | | |
| | | | खसरा नं. | रकबा (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| रायपुर | कसडोल | अर्जुनी प. ह. नं. 02 | 9/1 | 0.024 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण रायपुर संभाग, रायपुर | अर्जुनी, बल्दाकछार मार्ग के खरखरा नाला पर पुल निर्माण कार्य. |
| | | | 9/2 | 0.024 | | |
| | | | 9/3 | 0.024 | | |
| | | | 10 | 0.081 | | |
| | | योग | 4 | 0.153 | | |

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1395/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 56/अ-82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल | | | |
| | | | खसरा नं. | रकबा (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| रायपुर | आरंग | रीको प. ह. नं. 21 | 66 | 0.81 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर. | नया रायपुर के विकास कार्य (योजना क्षेत्र) हेतु. |
| | | | 67 | 0.33 | | |
| | | | 68 | 0.24 | | |
| | | | 71 | 0.40 | | |
| | | | 75 | 0.42 | | |
| | | | 76 | 0.47 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 77 | 0.44 | | |
| | | | 79 | 0.25 | | |
| | | | 81 | 0.17 | | |
| | | | 82 | 0.09 | | |
| | | | 83 | 1.15 | | |
| | | | 85 | 0.19 | | |
| | | | 86/2 | 0.20 | | |
| | | | 87/1 | 0.67 | | |
| | | | 87/2 | 0.54 | | |
| | | | 88 | 0.23 | | |
| | | | 89 | 0.27 | | |
| | | | 90 | 3.50 | | |
| | | | 92 | 0.18 | | |
| | | | 94 | 0.24 | | |
| | | | 95 | 0.58 | | |
| | | | 96 | 0.71 | | |
| | | | 97/2 | 0.48 | | |
| | | | 98 | 0.40 | | |
| | | | 99 | 0.28 | | |
| | | | 110 | 0.17 | | |
| | | | 113 | 0.33 | | |
| | | | 117 | 0.97 | | |
| | | | 119 | 0.36 | | |
| | | | 121 | 0.40 | | |
| | | | 123 | 0.03 | | |
| | | | 127 | 1.33 | | |
| | | | 128 | 2.75 | | |
| | | | 214 | 0.45 | | |
| | | | 217 | 0.24 | | |
| | | | 218 | 0.08 | | |
| | | | 219 | 0.09 | | |
| | | | 220 | 0.03 | | |
| | | | 221 | 0.11 | | |
| | | | 225 | 0.10 | | |
| | | | 226 | 0.37 | | |
| | | | 227 | 0.17 | | |
| | | | 230 | 0.07 | | |
| | | | 234 | 0.10 | | |
| | | | 235 | 0.24 | | |
| | | | 236 | 0.14 | | |
| | | | 238 | 0.29 | | |
| | | | 239 | 0.14 | | |
| | | | 242 | 0.07 | | |
| | | | 243 | 0.04 | | |
| | | | 244 | 0.10 | | |
| | | | 270 | 0.05 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 271 | 4.02 | | |
| | | | 272 | 0.19 | | |
| | | | 274 | 0.06 | | |
| | | | 276/1 | 0.31 | | |
| | | | 276/2 | 0.22 | | |
| | | | 276/3 | 0.12 | | |
| | | | 277 | 0.26 | | |
| | | | 281/1 | 0.20 | | |
| | | | 281/2 | 0.20 | | |
| | | | 281/3 | 0.20 | | |
| | | | 281/4 | 0.16 | | |
| | | | 282/1 | 0.14 | | |
| | | | 284 | 0.20 | | |
| | | | 285 | 0.16 | | |
| | | | 286 | 0.13 | | |
| | | | 288 | 0.12 | | |
| | | | 289 | 0.25 | | |
| | | | 290 | 0.73 | | |
| | | | 291 | 0.24 | | |
| | | | 292 | 0.35 | | |
| | | | 293 | 0.36 | | |
| | | | 294 | 0.41 | | |
| | | | 295 | 0.48 | | |
| | | | 306 | 0.76 | | |
| | | | 307 | 0.11 | | |
| | | | 308 | 0.04 | | |
| | | | 309 | 0.05 | | |
| | | | 310 | 0.05 | | |
| | | | 311 | 0.04 | | |
| | | | 324 | 0.32 | | |
| | | | 325 | 0.55 | | |
| | | | 326 | 0.31 | | |
| | | | 333 | 0.18 | | |
| | | | 334 | 2.00 | | |
| | | | 335 | 0.24 | | |
| | | | 336 | 0.18 | | |
| | | | 337 | 0.65 | | |
| | | | 340 | 0.23 | | |
| | | | 366 | 0.37 | | |
| | | | 367 | 0.04 | | |
| | | | 369/1 | 1.02 | | |
| | | | 369/2 | 0.48 | | |
| | | | 369/3 | 0.59 | | |
| | | | 370 | 0.24 | | |
| | | | 372 | 2.26 | | |
| | | | 373 | 0.53 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 374 | 0.07 | | |
| | | | 377 | 1.10 | | |
| | | | 379 | 0.37 | | |
| | | | 381 | 2.01 | | |
| | | | 382/1 | 0.12 | | |
| | | | 383/1 | 0.19 | | |
| | | | 383/2 | 0.19 | | |
| | | | 383/3 | 0.20 | | |
| | | | 384 | 0.85 | | |
| | | | 387 | 0.13 | | |
| | | | 392 | 0.01 | | |
| | | | 394 | 0.03 | | |
| | | | 395 | 0.01 | | |
| | | | 399 | 0.04 | | |
| | | | 403 | 1.07 | | |
| | | | 404 | 0.05 | | |
| | | | 411 | 0.70 | | |
| | | | 413 | 0.68 | | |
| | | | 416 | 0.12 | | |
| | | | 417 | 0.08 | | |
| | | | 418 | 0.49 | | |
| | | | 419 | 0.06 | | |
| | | | 420 | 0.50 | | |
| | | | 421 | 0.18 | | |
| | | | 528 | 0.05 | | |
| | | | 529 | 0.49 | | |
| | | | 530 | 0.40 | | |
| | | | 531 | 0.46 | | |
| | | | 532 | 0.46 | | |
| | | | 541 | 0.08 | | |
| | | | 542 | 1.35 | | |
| | | | 543 | 0.45 | | |
| | | | 544 | 0.04 | | |
| | | | 545 | 0.04 | | |
| | | | 548 | 0.47 | | |
| | | | 558 | 0.25 | | |
| | | | 562 | 0.40 | | |
| | | | 563 | 0.35 | | |
| | | | 564 | 0.25 | | |
| | | | 565 | 1.49 | | |
| | | | 568 | 0.26 | | |
| | | | 569 | 0.44 | | |
| | | | 570 | 0.43 | | |
| | | | 571 | 0.32 | | |
| | | | 572 | 0.40 | | |
| | | | 573 | 0.37 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 557/1 | 0.11 | | |
| | | | 557/2 | 0.72 | | |
| | | | 577/1 | 0.71 | | |
| | | | 577/2 | 0.23 | | |
| | | | 578 | 0.14 | | |
| | | | 580/1 | 0.02 | | |
| | | | 580/2 | 0.29 | | |
| | | | 581 | 0.77 | | |
| | | | 583 | 1.41 | | |
| | | | 584 | 1.70 | | |
| | | | 586/1 | 1.10 | | |
| | | | 588/1 | 2.97 | | |
| | | | 589 | 0.29 | | |
| | | | 592/1 | 0.28 | | |
| | | | 593/1 | 0.19 | | |
| | | | 595 | 0.21 | | |
| | | | 596 | 0.19 | | |
| | | | 599 | 1.54 | | |
| | | | 601 | 0.23 | | |
| | | | 604 | 0.27 | | |
| | | | 606 | 0.04 | | |
| | | | 609 | 0.12 | | |
| | | | 610 | 0.11 | | |
| | | | 611 | 0.06 | | |
| | | | 614 | 0.24 | | |
| | | | 615 | 0.17 | | |
| | | | 616 | 0.84 | | |
| | | | 618/1 | 0.17 | | |
| | | | 619/1 | 0.20 | | |
| | | | 619/2 | 0.55 | | |
| | | | 621 | 0.33 | | |
| | | | 624 | 0.09 | | |
| | | | 625 | 0.19 | | |
| | | | 626 | 0.29 | | |
| | | | 629 | 0.35 | | |
| | | | 633 | 0.47 | | |
| | | | 635 | 0.86 | | |
| | | | 636 | 0.23 | | |
| | | | 637 | 0.05 | | |
| | | | 638 | 0.30 | | |
| | | | 644 | 0.22 | | |
| | | | 647 | 0.09 | | |
| | | | 650 | 0.29 | | |
| | | | 651 | 0.05 | | |
| | | | 652 | 0.20 | | |
| | | | 653 | 0.28 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 658 | 0.65 | | |
| | | | 661 | 0.51 | | |
| | | | 666 | 1.02 | | |
| | | | 669 | 0.52 | | |
| | | | 670 | 0.99 | | |
| | | | 672 | 2.28 | | |
| | | | 673 | 0.32 | | |
| | | | 677 | 0.05 | | |
| | | | 687 | 0.20 | | |
| | | | 688/1 | 0.58 | | |
| | | | 688/2 | 0.18 | | |
| | | | 689 | 0.30 | | |
| | | | 692 | 1.14 | | |
| | | | 693 | 0.06 | | |
| | | | 694 | 0.16 | | |
| | | | 698 | 0.21 | | |
| | | | 699 | 0.95 | | |
| | | | 701 | 0.22 | | |
| | | | 702 | 0.24 | | |
| | | | 703 | 0.26 | | |
| | | | 707 | 0.55 | | |
| | | | 709 | 1.38 | | |
| | | | 710 | 1.41 | | |
| | | | 712 | 0.53 | | |
| | | | 718 | 0.22 | | |
| | | | 719 | 0.49 | | |
| | | | 722 | 0.20 | | |
| | | | 723 | 1.38 | | |
| | | | 724 | 0.10 | | |
| | | | 726 | 0.21 | | |
| | | | 729 | 0.36 | | |
| | | | 731 | 0.41 | | |
| | | | 749 | 0.09 | | |
| | | | 752 | 0.19 | | |
| | | | 753 | 0.07 | | |
| | | | 755 | 0.15 | | |
| | | | 757 | 0.18 | | |
| | | | 759 | 0.17 | | |
| | | | 761 | 0.08 | | |
| | | | 763 | 0.13 | | |
| | | | 765 | 0.13 | | |
| | | | 766 | 0.15 | | |
| | | | 767 | 0.07 | | |
| | | | 768 | 0.33 | | |
| | | | 770 | 0.16 | | |
| | | | 771 | 0.18 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 773 | 0.27 | | |
| | | | 776 | 0.12 | | |
| | | | 777 | 0.37 | | |
| | | | 779 | 0.09 | | |
| | | | 780 | 0.06 | | |
| | | | 783 | 0.03 | | |
| | | | 785 | 0.61 | | |
| | | | 786 | 0.37 | | |
| | | | 791 | 0.05 | | |
| | | | 801/1 | 0.16 | | |
| | | | 801/2 | 0.16 | | |
| | | | 802 | 1.08 | | |
| | | | 803 | 0.49 | | |
| | | | 804 | 0.35 | | |
| | | | 807 | 0.70 | | |
| | | | 808 | 1.03 | | |
| | | | 809 | 0.95 | | |
| | | | 810 | 0.20 | | |
| | | | 811 | 1.05 | | |
| | | | 812 | 1.28 | | |
| | | | 813 | 1.97 | | |
| | | | 814 | 1.75 | | |
| | | | 815/1 | 1.48 | | |
| | | | 815/3 | 0.80 | | |
| | | | 816 | 0.62 | | |
| | | | 817 | 1.13 | | |
| | | | 818 | 0.63 | | |
| | | | 819 | 0.26 | | |
| | | | 820 | 0.85 | | |
| | | | 824 | 0.17 | | |
| | | | 825/1 | 0.32 | | |
| | | | 825/2 | 0.28 | | |
| | | | 825/4 | 0.15 | | |
| | | | 825/6 | 0.28 | | |
| | | | 825/7 | 0.30 | | |
| | | | 825/8 | 0.28 | | |
| | | | 825/10 | 0.89 | | |
| | | | 825/11 | 1.21 | | |
| | | | 825/12 | 1.00 | | |
| | | | 825/14 | 0.10 | | |
| | | | 826 | 1.41 | | |
| | | | 830 | 0.25 | | |
| | | | 836 | 0.31 | | |
| | | | 837 | 0.09 | | |
| | | | 838 | 0.31 | | |
| | | | 840 | 0.42 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 842 | 0.82 | | |
| | | | 843 | 0.53 | | |
| | | | 844 | 0.28 | | |
| | | | 845 | 0.09 | | |
| | | | 846 | 0.32 | | |
| | | | 847 | 0.50 | | |
| | | | 848 | 0.30 | | |
| | | | 849 | 0.17 | | |
| | | | 850 | 2.74 | | |
| | | | 855 | 0.20 | | |
| | | | 856/2 | 0.46 | | |
| | | | 857 | 0.77 | | |
| | | | 858 | 0.18 | | |
| | | | 859 | 0.56 | | |
| | | | 864/2 | 0.58 | | |
| | | | 865/2 | 0.31 | | |
| | | | 867 | 0.54 | | |
| | | | 869 | 0.11 | | |
| | | | 872 | 0.40 | | |
| | | | 873 | 0.75 | | |
| | | | 874 | 0.91 | | |
| | | | 875 | 1.09 | | |
| | | | 876 | 0.08 | | |
| | | | 878/1 | 0.16 | | |
| | | | 879 | 0.82 | | |
| | | | 884 | 0.11 | | |
| | | | 886 | 0.56 | | |
| | | | 887 | 0.03 | | |
| | | | 888 | 0.23 | | |
| | | | 892 | 0.72 | | |
| | | | 893 | 1.43 | | |
| | | | 895 | 0.55 | | |
| | | | 896 | 0.46 | | |
| | | | 897 | 1.07 | | |
| | | | 898 | 0.04 | | |
| | | | 900/1 | 0.57 | | |
| | | | 900/2 | 0.57 | | |
| | | योग | 319 | 148.72 | | |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रोहित यादव,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक 8/1-अ/82 वर्ष 2008-09/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव (बेलरगांव)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.607 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 877 | 0.064 |
| | 882 | 0.203 |
| | 892 | 0.020 |
| | 883 | 0.081 |
| | 894 | 0.114 |
| | 891 | 0.121 |
| | 893 | 0.142 |
| | 911 | 0.186 |
| | 873 | 0.324 |
| | 912/1 | 0.162 |
| | 912/2 | 0.162 |
| | 912/3 | 0.004 |
| | 912/4 | 0.008 |
| | 912/5 | 0.008 |
| | 912/6 | 0.008 |
| योग | 15 | 1.607 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-बेलरगांव जलाशय के डूब अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक 9/2-अ/82 वर्ष 2008-09/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-कसपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.88 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 2/1 | 0.80 |
| | 4 | 0.13 |
| | 5/2 | 0.11 |
| | 5/3 | 0.08 |
| | 7 | 0.26 |
| | 8/1 | 0.14 |
| | 8/2 | 0.20 |
| | 9 | 0.16 |
| योग | 8 | 1.88 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-बेलरगांव जलाशय के डूब अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक/6906/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-घुघवा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.976 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 96/2 | 0.045 |
| | 95/1 | 0.004 |
| | 99/1 | 0.081 |
| | 99/2 | 0.004 |
| | 104/3 | 0.085 |
| | 104/1 | 0.154 |
| | 105/3 | 0.085 |
| | 111/3 | 0.073 |
| | 112 | 0.113 |
| | 113 | 0.085 |
| | 105/2 | 0.069 |
| | 101/1 | 0.105 |
| | 101/4 | 0.073 |
| योग | 13 | 0.976 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के घुघवा माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक/6907/भू-अर्जन/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हेरा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.983 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 540/11 | 0.308 |
| 540/12 | 0.040 |
| 540/8 | 0.097 |
| 489/7 | 0.170 |
| 458/1 | 0.113 |
| 458/3 | 0.113 |
| 241/16 | 0.093 |
| 525/1 | 0.166 |
| 241/17 | 0.202 |
| 549/3 | 0.093 |
| 529/2 | 0.061 |
| 528/2 | 0.238 |
| 546 | 0.603 |
| 714 | 0.405 |
| 239/4 | 0.040 |
| 218/3 | 0.121 |
| 502/1 | 0.319 |
| 749/1 | 0.240 |
| 770/1 | 0.348 |
| 720/4 | 0.101 |
| 817/1 | 0.227 |
| 421/3 | 0.305 |
| 780/3 | 0.101 |
| 412/1 | 0.061 |
| 498 | 0.162 |
| 708/1 | 0.020 |
| 511/1 | 0.049 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 422/1 | 0.036 |
| 664/2 | 0.069 |
| 713/1 | 0.065 |
| 451/2 | 0.101 |
| 447/3 | 0.248 |
| 772/1 | 0.231 |
| 786 | 1.214 |
| 224/15 | 0.223 |
| योग 35 | 6.983 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के डूबान क्षेत्र. (अनुपूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक/6908/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-भांठाबम्हनी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.499 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 175/5 | 0.765 |
| 68/1 | 0.016 |
| 221/2 | 0.202 |
| 35, 480 | 0.105 |
| 217/6 | 0.147 |
| 347/8 | 0.438 |
| 33/15 | 0.101 |
| 38/1 | 0.008 |
| 46/1 | 0.004 |
| 46/2 | 0.008 |
| 46/3 | 0.004 |
| 68/2 | 0.024 |
| 71/1 | 0.012 |
| 206/18 | 0.081 |
| 206/19 | 0.194 |
| 107/3 | 0.258 |
| 183/4 | 0.004 |
| 107/1 | 0.012 |
| 179/2 | 0.028 |
| 179/3 | 0.016 |
| 179/4 | 0.016 |
| 227/5 | 0.028 |
| 183/5 | 0.028 |
| योग 23 | 2.499 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के डूबान क्षेत्र हेतु. (अनुपूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक/6909/भू-अर्जन/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मचानपार, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.995 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 754/3 | 0.085 |
| 155/7 | 0.165 |
| 155/5 | 0.057 |
| 155/4 | 0.057 |
| 156/2 | 0.105 |
| 156/3 | 0.004 |
| 156/4 | 0.008 |
| 149/1 | 0.113 |
| 150/2 | 0.109 |
| 151/2 | 0.024 |
| 150/1 | 0.036 |
| 127/4 | 0.045 |
| 124/2, 126/5 | 0.028 |
| 126/3 | 0.032 |
| 127/2, 127/3 | 0.041 |
| 124/12, 126/14 | 0.041 |
| 124/9, 126/11, 152/4 | 0.045 |
| योग 17 | 0.995 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज खैरी सब माइनर के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक/6910/भू-अर्जन/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गुंगेरी नवागांव, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.604 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 247/2 | 0.057 |
| 241 | 0.222 |
| 563/1 | 0.004 |
| 229/2 | 0.202 |
| 505/1 | 0.016 |
| 242 | 0.036 |
| 496/2 | 0.016 |
| 504 | 0.004 |
| 497 | 0.069 |
| 502 | 0.016 |
| 499 | 0.049 |
| 563/4 | 0.105 |
| 566 | 0.028 |
| 235/1 | 0.117 |
| 235/2 | 0.093 |
| 496/1 | 0.028 |
| 496/3 | 0.097 |
| 248/1 | 0.036 |
| 248/4 | 0.008 |
| 248/2 | 0.049 |
| 248/3 | 0.061 |
| 230/1 | 0.020 |
| 230/2 | 0.008 |
| 228/1 | 0.162 |
| 498/1 | 0.101 |
| योग 25 | 1.604 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज गुंगेरी नवागांव माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक/6911/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगांव
(ग) नगर/ग्राम-झींका, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.167 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 192/1 | 0.198 |
| 193/3 | 0.032 |
| 195 | 0.049 |
| 196 | 0.012 |
| 194 | 0.073 |
| 206 | 0.081 |
| 204/2 | 0.093 |
| 204/1 | 0.145 |
| 205 | 0.016 |
| 211/2 | 0.041 |
| 211/3 | 0.278 |
| 215/2 | 0.016 |
| 216 | 0.133 |
| योग 13 | 1.167 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के सुखरी माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगांव
(ग) नगर/ग्राम-कासमसुर, प. ह. नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.985 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 241/1 | 0.170 |
| 245 | 0.004 |
| 241/5 | 0.057 |
| 246 | 0.085 |
| 244 | 0.049 |
| 248/3 | 0.081 |
| 248/5 | 0.065 |
| 250 | 0.008 |
| 254 | 0.008 |
| 253/1-2 | 0.057 |
| 252/2 | 0.069 |
| 257 | 0.324 |
| 248/4 | 0.008 |
| योग 13 | 0.985 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के जामसरार माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक/6912/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

राजनांदगांव, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक/6913/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-जामसरार, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.590 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 13/3 | 0.028 |
| | 14/1 | 0.008 |
| | 14/3 | 0.004 |
| | 77 | 0.109 |
| | 13/1 | 0.065 |
| | 64/1 | 0.105 |
| | 11/1 | 0.125 |
| | 83 | 0.129 |
| | 17 | 0.057 |
| | 10/1 | 0.073 |
| | 20/1 | 0.089 |
| | 24/4 | 0.012 |
| | 114 | 0.008 |
| | 24/3 | 0.041 |
| | 24/8 | 0.036 |
| | 24/9 | 0.049 |
| | 63/4 | 0.085 |
| | 64/2 | 0.045 |
| | 177/8 | 0.121 |
| | 86 | 0.049 |
| | 87 | 0.004 |
| | 82 | 0.125 |
| | 113/1 | 0.020 |
| | 113/2 | 0.020 |
| | 118/3 | 0.065 |
| | 178 | 0.077 |
| | 182/1 | 0.057 |
| | 182/4 | 0.041 |
| | 182/2 | 0.157 |
| | 187 | 0.125 |
| | 195 | 0.077 |
| | 76 | 0.093 |
| | 112 | 0.008 |
| | 127/1 | 0.409 |
| | 181/3 | 0.113 |
| | 18/4 | 0.020 |
| | 88/1 | 0.097 |
| | 128/1 | 0.004 |
| | 140 | 0.242 |
| | 142/7 | 0.008 |
| | 177/7 | 0.020 |
| | 177/6 | 0.113 |
| | 177/10 | 0.057 |
| | 177/13 | 0.012 |
| | 177/9 | 0.065 |
| | 177/3 | 0.085 |
| | 63/3 | 0.085 |
| | 193/6 | 0.028 |
| | 193/7 | 0.117 |
| | 193/8 | 0.008 |
| योग | 50 | 3.590 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के जामसरार माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक/6914/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-दीवानभेड़ी, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.873 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 807/1 | 0.057 |
| 807/2 | 0.077 |
| 808/1 | 0.004 |
| 809 | 0.056 |
| 320/1 | 0.004 |
| 321/2 | 0.032 |
| 321/3 | 0.045 |
| 321/5 | 0.065 |
| 319/1 | 0.053 |
| 293/3 | 0.081 |
| 316/1 | 0.032 |
| 318 | 0.032 |
| 316/2 | 0.053 |
| 316/4 | 0.020 |
| 294 | 0.097 |
| 295 | 0.008 |
| 293/1 | 0.004 |
| 296/2 | 0.044 |
| 293/2 | 0.173 |
| 290/1 | 0.073 |
| 290/2 | 0.153 |
| 288 | 0.028 |
| 286 | 0.008 |
| 276 | 0.069 |
| 274 | 0.008 |
| 275/2 | 0.028 |
| 271 | 0.036 |
| 270/1 | 0.024 |
| 270/2 | 0.008 |
| 269 | 0.036 |
| 765/3 | 0.041 |
| 768 | 0.097 |
| 769 | 0.069 |
| 344/2 | 0.089 |
| 317/1 | 0.012 |
| 317/3 | 0.008 |
| 317/2 | 0.065 |
| 285/1 | 0.008 |
| 285/2 | 0.044 |
| 321/7 | 0.032 |
| योग 40 | 1.873 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के दीवानभेड़ी माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक/6915/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मनेरी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.404 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 300/4 | 0.020 |
| 304 | 0.133 |
| 303/1 | 0.109 |
| 302/1 | 0.226 |
| 303/2 | 0.028 |
| 307/2 | 0.057 |
| 307/3 | 0.036 |
| 308/2 | 0.004 |
| 320/1 | 0.065 |
| 327/2 | 0.004 |
| 320/3 | 0.101 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 321/5 | 0.117 |
| 322 | 0.077 |
| 325/2 | 0.004 |
| 331/3 | 0.101 |
| 334/4 | 0.028 |
| 334/3 | 0.004 |
| 324/1 | 0.024 |
| 324/2 | 0.004 |
| 334/1 | 0.133 |
| 302/3 | 0.008 |
| 325/1 | 0.121 |
| योग 22 | 1.404 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के जामसरार माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्रमांक/5294/कले/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अंतागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लामपुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 218/2 | 0.21 |
| 221/2 | 0.05 |
| योग | 0.26 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा, रावघाट रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्रमांक/5297/कले/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कच्चे
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 296 | 0.03 |
| योग | 0.03 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा, रावघाट रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्रमांक/5300/कले/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
  (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
  (ग) नगर/ग्राम-चिचमर्रा
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 177 | 1.00 |
| 169 | 0.07 |
| 174 | 0.30 |
| 168 | 0.01 |
| 171 | 0.10 |
| 172 | 0.10 |
| योग | 1.58 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा, रावघाट रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्रमांक/5303/कले/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
  (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
  (ग) नगर/ग्राम-टेकाढोडा
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 276 | 0.03 |
| 281/1 | 0.24 |
| 55/4 | 0.04 |
| 55/3 | 0.02 |
| 55/5 | 0.02 |
| योग | 0.35 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा, रावघाट रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्रमांक/5306/कले/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
  (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
  (ग) नगर/ग्राम-घोडाबत्तर
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 79/3 | 0.02 |
| 79/2 | 0.03 |
| 79/4 | 0.01 |
| 79/5 | 0.01 |
| 167 | 0.21 |
| योग | 0.28 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा, रावघाट रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्रमांक/5309/कले/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भैसमुण्डी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.32 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 432/1 | 0.32 |
| योग | 0.32 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा, रावघाट रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्रमांक/5312/कले/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केंवटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.61 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 310/4 | 0.70 |
| 313/1 | 0.62 |
| 288/2 | 0.29 |
| योग | 1.61 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा, रावघाट रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्रमांक/5315/कले/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-भानुप्रतापपुर

(ग) नगर/ग्राम-चौंगेल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 433 | 0.02 |
| योग | 0.02 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा, रावघाट रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक/5480/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-नरहरपुर

(ग) नगर/ग्राम-देवरी बालाजी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.93 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 575 | 0.07 |
| 550 | 0.01 |
| 578 | 0.27 |
| 577 | 0.12 |
| 537 | 0.04 |
| 552 | 0.13 |
| 1419/550 | 0.06 |
| 576 | 0.07 |
| 536 | 0.03 |
| 551 | 0.05 |
| 535 | 0.03 |
| 554 | 0.01 |
| 553 | 0.08 |
| 638 | 0.05 |
| 169/2 | 0.09 |
| 540 | 0.11 |
| 541 | 0.08 |
| 531 | 0.23 |
| 532 | 0.06 |
| 631 | 0.18 |
| 637 | 0.11 |
| 636 | 0.17 |
| 641/9 | 0.14 |
| 641/7 | 0.13 |
| 641/6 | 0.15 |
| 641/5 | 0.22 |
| 499 | 0.27 |
| 498 | 0.06 |
| 1420/498 | 0.07 |
| 495/2 | 0.06 |
| 460 | 0.08 |
| 461 | 0.37 |
| 462 | 0.01 |
| 492 | 0.23 |
| 467 | 0.24 |
| 466 | 0.13 |
| 710 | 0.11 |
| 465 | 0.12 |
| 456 | 0.13 |
| 451 | 0.21 |
| 739/1 | 0.18 |
| 450 | 0.02 |
| 740 | 0.30 |
| 448 | 0.08 |
| 745 | 0.25 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 746 | 0.30 |
| | 496 | 0.02 |
| योग | 47 | 5.93 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दुधावा दायीं तट नहर निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक/5484/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-ईच्छापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.02 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 168 | 0.15 |
| 237 | 0.60 |
| 500 | 0.10 |
| 141 | 0.25 |
| 182 | 0.18 |
| 180 | 0.01 |
| 235 | 0.02 |
| 239 | 0.05 |
| 229 | 0.01 |
| 634 | 0.15 |
| 635 | 0.04 |
| 576 | 0.07 |
| 629 | 0.05 |
| 630/2 | 0.07 |
| 630/3 | 0.10 |
| 630/1 | 0.04 |
| 633 | 0.10 |
| 628/1 | 0.35 |
| 230 | 0.05 |
| 240/3 | 0.30 |
| 240/2 | 0.10 |
| 241/1 | 0.40 |
| 241/4 | 0.25 |
| 225/2 | 0.15 |
| 219 | 0.35 |
| 213 | 0.20 |
| 223 | 0.35 |
| 221 | 0.12 |
| 502 | 0.17 |
| 298/2 | 0.06 |
| 298/1 | 0.32 |
| 299/1 | 0.02 |
| 302/1 | 0.47 |
| 628/4 | 0.02 |
| 636/3 | 0.01 |
| 636/2 | 0.15 |
| 636/1 | 0.12 |
| 574 | 0.35 |
| 624 | 0.04 |
| 625 | 0.10 |
| 626/1 | 0.10 |
| 575 | 0.13 |
| 626/2 | 0.04 |
| 506 | 0.04 |
| 481 | 0.02 |
| 577 | 0.06 |
| 580/3 | 0.15 |
| 589 | 0.05 |
| 580/2 | 0.06 |
| 587 | 0.01 |
| 852 | 0.32 |
| 531 | 0.06 |
| 581 | 0.01 |
| 529 | 0.10 |
| 530 | 0.10 |
| 584 | 0.05 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 528 | 0.30 |
| 507 | 0.09 |
| 487 | 0.15 |
| 508 | 0.05 |
| 486/4 | 0.05 |
| 510 | 0.20 |
| 503/2 | 0.03 |
| 474 | 0.30 |
| 501 | 0.09 |
| 210 | 0.35 |
| 482 | 0.05 |
| 483 | 0.01 |
| 486/702 | 0.10 |
| 496 | 0.05 |
| 488/1 | 0.02 |
| 486/2 क | 0.04 |
| 486/2 ख | 0.05 |
| 486/1 | 0.08 |
| 486/3 | 0.09 |
| 583 | 0.06 |
| 231/5 | 0.03 |
| 231/2 | 0.04 |
| 241/1 | 0.05 |
| योग 79 | 10.02 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-ईच्छापुर व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एन. के. खाखा**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 14 सितम्बर 2011

रा.प्र.क्र. 14 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरूवा, प. ह. नं. 55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.110 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 119 | 0.110 |
| योग 1 | 0.110 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना के अन्तर्गत आने वाली माइनर नहर में अर्जित की गई भूमि. (पूरक)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 14 सितम्बर 2011

रा.प्र.क्र. 20 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मोतिमपुर, प. ह. नं. 49
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.025 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 151/1 | 0.210 |
| 151/4 | 0.064 |
| 151/11 | 0.076 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 151/8 | 0.225 |
| | 151/9, 151/7 | 0.070 |
| | 148/2 | 0.380 |
| योग | 6 | 1.025 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत आने वाली मुख्य नहर में अर्जित की गई भूमि. (पूरक)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 14 सितम्बर 2011

रा.प्र.क्र. 21 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भादूटोला, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.305 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 10/1 | 0.060 |
| | 10/3 | 0.065 |
| | 10/3 | 0.070 |
| | 12 | 0.110 |
| योग | 4 | 0.305 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत वितरक शाखा नहर में अर्जित की गई भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 14 सितम्बर 2011

रा.प्र.क्र. 22 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-चनाटोला, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.177 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 60 | 0.177 |
| योग | 1 | 0.177 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत आने वाली दुल्लापुर वितरक शाखा नहर में अर्जित की गई भूमि. (पूरक).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 26 सितम्बर 2011

रा.प्र.क्र. 01 अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-कंझेटा, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.301 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 369/2 | 0.0028 |
| 369/1 | 0.0065 |
| 415/1 | 0.0036 |
| 415/2 | 0.0061 |
| 416 | 0.052 |
| 418/2 | 0.052 |
| 425/1 | 0.073 |
| 378 | 0.049 |
| 419/2 | 0.041 |
| 421/2 | 0.052 |
| 421/4 | 0.052 |
| 424 | 0.073 |
| 426/1 | 0.097 |
| 431 | 0.093 |
| 366 | 0.036 |
| 425/2 | 0.049 |
| 441 | 0.056 |
| 440 | 0.061 |
| 438/1, 439/1 | 0.036 |
| 438/2, 439/2 | 0.032 |
| 434 | 0.069 |
| 426/1 | 0.049 |
| 435 | 0.089 |
| योग 23 | 1.301 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निर्मित सड़क निर्माण कार्य हेतु प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मुकेश बंसल,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1381/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 13/अ.82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 71/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 560 | 0.12 |
| योग 1 | 0.12 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत सेक्टर-29 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1382/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 30/अ./82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-आरंग
   (ग) नगर/ग्राम-पलौद, प. ह. नं. 21
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.30 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 783 | 0.10 |
| | 802 | 0.08 |
| | 832 | 0.67 |
| | 858/2 | 0.45 |
| योग | 4 | 1.30 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत विद्युत लाईन स्ट्रक्चर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1383/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 33/अ.82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-अभनपुर
   (ग) नगर/ग्राम-उपरवारा, प. ह. नं. 137/16
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.15 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 3244 | 0.49 |
| | 3246 | 0.47 |
| | 3247 | 0.45 |
| | 3249 | 0.31 |
| | 3251 | 0.49 |
| | 3253 | 0.41 |
| | 3254 | 0.45 |
| | 3258 | 0.51 |
| | 3259 | 0.26 |
| | 3260 | 0.31 |
| योग | 10 | 4.15 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत जंगल सफारी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1385/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 28/अ.82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-अभनपुर
   (ग) नगर/ग्राम-तूता, प. ह. नं. 137/16
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.502 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 203/2 | 0.108 |
| | 345/1 | 0.874 |
| | 701/1 | 3.399 |
| | 693/831 | 0.121 |
| योग | 4 | 4.502 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1386/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 32/अ./82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-06.700 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 355 | 0.950 |
| | 712 | 3.950 |
| | 759 | 0.600 |
| | 774 | 1.200 |
| योग | 4 | 06.700 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत विद्युत लाईन स्ट्रक्चर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1387/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 18/अ./82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-09.62 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 356 | 0.65 |
| 357 | 0.13 |
| 358 | 0.13 |
| 359 | 0.34 |
| 360 | 0.38 |
| 361 | 0.10 |
| 363 | 0.33 |
| 364 | 0.50 |
| 365/1 | 0.20 |
| 365/2 | 0.10 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 370 | 0.37 |
| 407 | 1.88 |
| 410 | 0.25 |
| 419 | 0.20 |
| 440 | 0.33 |
| 450 | 0.15 |
| 460/2 | 0.40 |
| 462 | 0.17 |
| 465 | 0.16 |
| 471 | 0.43 |
| 508 | 1.72 |
| 514 | 0.44 |
| 511/1853 | 0.26 |
| योग 23 | 09.62 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत खेल-ग्राम हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1388/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 16/अ.82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-कोटराभाठा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-28.14 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 4 | 0.06 |
| 37/2 | 0.10 |
| 37/3 | 0.16 |
| 38 | 0.78 |
| 39 | 0.17 |
| 40 | 0.72 |
| 50 | 0.88 |
| 53 | 0.39 |
| 55 | 0.78 |
| 56 | 1.30 |
| 57 | 0.33 |
| 60 | 0.28 |
| 62 | 0.37 |
| 64 | 0.20 |
| 65 | 0.27 |
| 66 | 0.20 |
| 67 | 0.55 |
| 69 | 0.50 |
| 70 | 0.29 |
| 72 | 0.29 |
| 73 | 0.23 |
| 74 | 1.24 |
| 88/2 | 0.54 |
| 99 | 0.61 |
| 115 | 0.44 |
| 124 | 0.15 |
| 128/2 | 0.47 |
| 132/2 | 0.65 |
| 142 | 0.08 |
| 144 | 0.43 |
| 147 | 0.92 |
| 149 | 0.80 |
| 150/1 | 0.37 |
| 150/2 | 0.22 |
| 150/3 | 0.05 |
| 153 | 0.18 |
| 154 | 0.18 |
| 155 | 0.18 |
| 156 | 0.15 |
| 157/1 | 0.36 |
| 157/2 | 0.39 |
| 158 | 0.44 |
| 161 | 0.19 |
| 229 | 0.26 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 235 | 0.14 |
| 237 | 0.11 |
| 238 | 0.11 |
| 239 | 0.11 |
| 241 | 0.11 |
| 242 | 0.11 |
| 243 | 0.11 |
| 244 | 0.12 |
| 247 | 0.13 |
| 249 | 0.48 |
| 250 | 0.10 |
| 252/3 | 0.09 |
| 253 | 0.26 |
| 257 | 0.15 |
| 270/2 | 0.26 |
| 277 | 0.78 |
| 302 | 3.13 |
| 336 | 0.45 |
| 337 | 0.30 |
| 378 | 0.51 |
| 382 | 0.07 |
| 388 | 0.38 |
| 389 | 0.38 |
| 417 | 0.48 |
| 440 | 1.09 |
| 466 | 0.03 |
| योग 70 | 28.14 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत योजना क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1389/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 34/अ.82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर.
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दुवा, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.88 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 401 | 0.15 |
| 403 | 0.51 |
| 484 | 0.86 |
| 489 | 0.30 |
| 496 | 0.06 |
| योग 5 | 1.88 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्रमांक/498/1/भू-अर्जन/02/अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-थरगांव, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.670 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 608/1 क | 0.061 |
| 611 | 0.061 |
| 618/2 | 0.230 |
| 618/4 | 0.101 |
| 618/1 | 0.049 |
| 618/3 | 0.162 |
| 616 | 0.021 |
| 617/3 | 0.008 |
| 617/5 | 0.021 |
| 617/4 | 0.021 |
| 617/6 | 0.021 |
| 617/14 | 0.016 |
| 612/2 | 0.027 |
| 617/7 | 0.020 |
| 612/3 | 0.021 |
| 617/9 | 0.041 |
| 700/2 | 0.081 |
| 700/1, 700/3 | 0.067 |
| 610 | 0.029 |
| 617/1 | 0.008 |
| 701 | 0.176 |
| 702/1 | 0.032 |
| 702/2 | 0.032 |
| 612/1 | 0.053 |
| 615 | 0.061 |
| 627 | 0.137 |
| 622 | 0.081 |
| 623 | 0.032 |
| योग | 1.670 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक नदी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रोहित यादव**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 जुलाई 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सुलोनी, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.358 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 399 | 0.057 |
| 406 | 0.036 |
| 400 | 0.041 |
| 395 | 0.137 |
| 408 | 0.041 |
| 409 | 0.036 |
| 393 | 0.004 |
| 403 | 0.061 |
| 487 | 0.057 |
| 520 | 0.004 |
| 404 | 0.041 |
| 426/1 | 0.008 |
| 411 | 0.020 |
| 417 | 0.041 |
| 420/1 | 0.065 |
| 427 | 0.049 |
| 500 | 0.008 |
| 425/1 | 0.150 |
| 467/1 | 0.073 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 461/1 | 0.032 |
| 433/1 | 0.097 |
| 505/1 | 0.097 |
| 434 | 0.045 |
| 433/2 | 0.012 |
| 441/3 | 0.343 |
| 460 | 0.041 |
| 464 | 0.008 |
| 499 | 0.061 |
| 498 | 0.097 |
| 483 | 0.065 |
| 435 | 0.002 |
| 506 | 0.020 |
| 504/1 | 0.069 |
| 413/1 | 0.069 |
| 418 | 0.081 |
| 459 | 0.065 |
| 503 | 0.020 |
| 425/2 | 0.068 |
| 467/2 | 0.016 |
| 518 | 0.101 |
| 519 | 0.016 |
| 488 | 0.004 |
| योग 42 | 2.358 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की छिछौर उमरिया वितरक नहर से सुलोनी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-नंदेली, प. ह. नं. 37
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.598 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 935 | 0.069 |
| 936/1 | 0.057 |
| 952/1 | 0.028 |
| 959/1 | 0.061 |
| 958/2 | 0.016 |
| 952/2 | 0.012 |
| 958/1 | 0.020 |
| 952/3 | 0.008 |
| 955/1 | 0.008 |
| 959/2 | 0.069 |
| 960 | 0.218 |
| 962 | 0.032 |
| योग 12 | 0.598 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की छिछौर उमरिया वितरक नहर से केलापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 जुलाई 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

रायगढ़, दिनांक 28 जुलाई 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 43/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-पुसौर
   (ग) नगर/ग्राम-बरपाली, प. ह. नं. 38
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.075 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 341/1 | 0.189 |
| 352 | 0.057 |
| 353 | 0.089 |
| 199/1 | 0.097 |
| 206/1 | 0.057 |
| 210/1 | 0.097 |
| 355/1 | 0.012 |
| 355/2 | 0.004 |
| 203/1 | 0.012 |
| 198/12 | 0.004 |
| 203/2 | 0.085 |
| 342/1 | 0.061 |
| 195/4 | 0.020 |
| 195/1 | 0.069 |
| 193 | 0.057 |
| 188/1 | 0.073 |
| 187/1 | 0.004 |
| 186/2 | 0.004 |
| 187/2 | 0.012 |
| 190 | 0.073 |
| 205/1 | 0.016 |
| 205/2 | 0.036 |
| 211/1 | 0.049 |
| 350/1 | 0.012 |
| 204/1 | 0.085 |
| 351/5 | 0.185 |
| 342/4 | 0.012 |
| 342/3 | 0.089 |
| 342/6 | 0.061 |
| 351/1 | 0.057 |
| 326/8 | 0.065 |
| 356/2 | 0.081 |
| 199/4 | 0.024 |
| 199/5 | 0.004 |
| 198/6 | 0.073 |
| 198/7 | 0.053 |
| 198/9 | 0.097 |
| योग 37 | 2.075 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की अमलीभौना माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 जुलाई 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 63/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-पुसौर
   (ग) नगर/ग्राम-नंदेली, प. ह. नं. 37
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.508 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 127 | 0.077 |
| 128 | 0.024 |
| 148/4 | 0.032 |
| 129/2 | 0.057 |
| 130 | 0.012 |
| 149/1 | 0.246 |
| 131 | 0.016 |
| 147/4 | 0.002 |
| 149/4 | 0.028 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 150/4 | 0.014 |
| योग | 10 | 0.508 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की छिछौर उमरिया वितरक नहर से सुलोनी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अगस्त 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-सरडेगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.972 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 8 | 0.524 |
| 24 | 0.769 |
| 30 | 0.271 |
| 23/2 | 0.016 |
| 9/1 | 0.012 |
| 25 | 0.425 |
| 31 | 0.437 |
| 9/2 | 0.016 |
| 26 | 0.739 |
| 23/1 | 0.012 |
| 9/4 | 0.225 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 29/1 | 0.526 |
| योग | 12 | 3.972 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गहनाझरिया जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अगस्त 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.091 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 386 | 0.008 |
| 397/1 | 0.073 |
| 388 | 0.016 |
| 397/3 | 0.129 |
| 392/1 | 0.012 |
| 398/1 | 0.024 |
| 392/3 | 0.040 |
| 398/2 | 0.186 |
| 393/1 | 0.202 |
| 400 | 0.053 |
| 396/2 | 0.101 |
| 401/4 | 0.008 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 396/4 | 0.008 |
| 394/2 | 0.012 |
| 396/3 | 0.219 |
| योग 15 | 1.091 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झगरपुर जलाशय योजना के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 अगस्त 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बोड़ाझरिया, प.ह.नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.475 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 262/3 | 0.028 |
| 324 | 0.069 |
| 247 | 0.231 |
| 259 | 0.555 |
| 260/2 | 0.360 |
| 264/1 क | 0.059 |
| 262/2 | 0.028 |
| 262/1 | 0.061 |
| 263/3 | 0.126 |
| 260/1 | 0.607 |
| 248 | 0.138 |
| 260/4 | 0.170 |
| 264/1 ख | 0.059 |
| 263/2 | 0.121 |
| 263/1 | 0.235 |
| 264/1 ग | 0.060 |
| 260/3 | 0.154 |
| 245 | 0.260 |
| 257 | 0.823 |
| 260 | 0.210 |
| 410/2 | 0.121 |
| योग 21 | 4.475 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-बोड़ाझरिया जलाशय के निर्माण के लिए निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 अगस्त 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-कलमीपाठ, प.ह.नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.212 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 115 | 0.020 |
| 114 | 0.049 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 113 | 0.133 |
| 66/1 | 0.020 |
| योग | 0.212 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-तुरेकेला बगदेवा कलमीपाठ पर सपनई नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2010-2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-बगुडेगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.178 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 51/2 | 0.178 |
| योग | 1 | 0.178 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाकारूमा से लैलूंगा पर स्थित ग्राम बगुडेगा की अधिग्रहित भूमि पर सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमित कटारिया,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील खरसिया, जिला रायगढ़

खरसिया, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

प्रारूप-ख
[ नियम 5 का उपनियम (1) देखें ]

क्रमांक 433.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पावर प्लांट हेतु 250 एम.एम. पानी के पाइपलाईन परियोजना हेतु माण्ड नदी ग्राम-दर्रामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ से परिवहन हेतु ग्राम-दर्रामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एस. के. एस. पावर जनरेशन (छ.ग.), लिमिटेड ग्राम-बिंजकोट द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसील खरसिया, जिला-रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/प. ह. नं. | खसरा नंबर | उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| रायगढ़ | खरसिया | दर्रामुड़ा/प.ह.नं. 14 | 198/628 | 0.04 |
| | | | 199 | 0.03 |
| | | | 200/5 क | 0.03 |
| | | | 200/6 | 0.03 |
| | | योग | 4 | 0.13 |

**ओ. पी. वर्मा,**
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

---

# छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

## बस स्टैन्ड के पीछे (पुराना बस डिपो नं. 1 परिसर) पंडरी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2011

क्रमांक 304/055080/2009.— श्री महेन्द्र राठौर, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 21-09-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि दिनांक 01-11-2009 से 01-11-2011 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

उपरोक्त स्वीकृति के पश्चात् श्री महेन्द्र कुमार राठौर, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, दुर्ग के अवकाश लेखे में 210-15 दिवस का अवकाश शेष रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,
अशोक कुमार पाठक, रजिस्ट्रार.

## छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्रमांक-812/दो-08-01/2003.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 11-अ उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कालम नंबर-2 में दर्शाए गए तहसील क्षेत्र के लिए कॉलम नं.-3 में वर्णित तालुक विधिक सेवा समितियों का तत्काल प्रभाव से गठन करता है :—

| क्र. | तहसील क्षेत्र | तालुक विधिक सेवा समिति | विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 11-अ की उपधारा (2) के खंड (अ) के अनुसार तालुक विधिक सेवा समिति का पदेन अध्यक्ष | छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 2002 के नियम 16 (2) के अनुसार तालुक विधिक सेवा समिति के पदेन सदस्य |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | भिलाई-3 | भिलाई-3 जिला-दुर्ग (छ.ग.) | वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी | 1. उप-जिलाधीश<br>2. पुलिस अनुविभागीय अधिकारी<br>3. अध्यक्ष, स्थानीय अधिवक्ता संघ |
| 2. | अकलतरा | अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) | वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी | 1. उप-जिलाधीश<br>2. पुलिस अनुविभागीय अधिकारी<br>3. अध्यक्ष, स्थानीय अधिवक्ता संघ |

No. /812/II-08-01/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11-A of the Legal Services Authorities Act, 1987, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur constitutes the Taluk Legal Services Committee as shown in column No. (3) for the area comprising of as shown in column No. (2), with immediate effect.

| S. No. | Tahsil Area | Taluk Legal Services Committee | Ex-officio Chairman of Legal Services Committee as par clause (a) of sub-section (2) of section 11-A of the Legal Services Authorities Act, 1987 | Ex-officio Members of Taluk Legal Services Committee as per sub Rule (2) of Rule 16 of the C. G. State Legal Services Authority, Rule 2002 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Bhilai-3 | Bhilai-3 Distt.-Durg (C.G.) | Senior Most Judicial Officer | 1. Sub Collector<br>2. S.D.O. Police<br>3. President, Local Bar Association |
| 2. | Akaltara | Akaltara Distt.-Janjgir-Champa (C.G.) | Senior Most Judicial Officer | 1. Sub Collector<br>2. S.D.O. Police<br>3. President, Local Bar Association |

ए. के. सिंघल,
सदस्य सचिव.

# कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
## बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2011-12/3837.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा 2 सहपठित धारा 57 की उपधारा (एक) के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, कृषि उपज मण्डी समिति पेण्ड्रा जिला-बिलासपुर के लिए निर्वाचित मण्डी समिति की कालावधि का अवसान 25-09-2011 को होने के फलस्वरूप दिनांक 26-9-2011 के पूर्वान्ह से श्री संजय कन्नौजे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड को कृषि उपज मण्डी समिति पेण्ड्रा जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/3981.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7771 रायपुर, दिनांक 22-02-2011 द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एन. आर. चन्द्राकर, अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, महासमुन्द को कृषि उपज मण्डी समिति बागबाहरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसे एतद्द्वारा संशोधित करते हुए श्री विकास मिश्रा, उप संचालक कृषि, जिला-महासमुंद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बागबाहरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

**सुरेन्द्र कुमार जायसवाल,**
**प्रबंध संचालक.**

---

# कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक/9103/अधीक्षक/2011.—छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक/बी-1-2/2009/एक/4/ रायपुर दिनांक 29 जनवरी, 2011 के अनुसार श्री बी. आर. जुर्री, डिप्टी कलेक्टर को कोरबा के पद पर पदस्थ किया गया है. उनके द्वारा दिनांक 24-08-2011 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् पूर्व में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/8820/अधीक्षक/2010/कोरबा दिनांक 13-09-2010 तथा क्रमांक/2888/अधीक्षक/2011/कोरबा दिनांक 17-03-2011 के द्वारा जारी कार्य बंटन आदेश में सुधार पश्चात् अपर कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर के मध्य कार्य विभाजन किया जाता है :—

1. **श्री अभय कुमार मिश्रा (रा. प्र. से.)**
   **अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कोरबा**
   1. **वित्त एवं स्थापना का संपूर्ण प्रभार**
      अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश, वेतनवृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि के आंशिक अंतिम विकर्षण तथा अग्रिम के स्वीकृति के प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित करना.
   2. नोडल अधिकारी — राजस्व आपदा प्रबंधन शाखा
   3. नोडल अधिकारी — खाद्य शाखा
   4. नोडल अधिकारी — भू-अभिलेख शाखा
   5. नोडल अधिकारी — सामान्य निर्वाचन शाखा/स्थानीय निर्वाचन शाखा
   6. नोडल अधिकारी — महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा
   7. पासपोर्ट
   8. लायसेंस

9. संपूर्ण जिले के भू-अर्जन/भूमि बंटन
10. कटघोरा अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण
11. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी (शहरी क्षेत्र के लिए)
12. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

2. **श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर कोरबा**

1. नोडल अधिकारी — आदिमजाति कल्याण विभाग कोरबा
2. नोडल अधिकारी — कृषि एवं उद्यान
3. नोडल अधिकारी — अंतव्यवसायी
4. अपर कलेक्टर (नजूल)
5. प्रभारी अधिकारी सांख्य लिपिक शाखा
6. नगर सेना
7. अल्प बचत
8. कोरबा अनुभाग के अंतर्गत शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण
9. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

3. **श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त कलेक्टर**

1. नगर दण्डाधिकारी-थाना बालको/कोरबा/दर्री/कुसमुंडा क्षेत्र के लिए
2. नजूल अधिकारी
3. विशेष कक्ष
4. जिला योजना एवं सांख्यिकी शाखा
5. प्रतिलिपि शाखा
6. अभिलेख कोष्ठ राजस्व/आंग्ल
7. नोडल अधिकारी ब्रिक्स
8. आवक जावक
9. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
10. दंगा पीड़ित 1984
11. जिला शहरी विकास अभिकरण
12. सूचना के अधिकार
13. सहायक अधीक्षक (विविध)
14. 20 सूत्रीय
15. पर्यावरण शाखा
16. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य विभाग
17. नोडल अधिकारी, गृह निर्माण मंडल
18. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

4. **श्री एस. एन. राम, डिप्टी कलेक्टर**
**प्रभारी अधिकारी**

1. सामान्य निर्वाचन
2. स्थानीय निर्वाचन
3. भू-अभिलेख शाखा
4. राजस्व मोहर्रिर
5. प्रभारी अधिकारी सहायक अधीक्षक राजस्व
6. नवोदय विद्यालय
7. कम्प्यूटर शाखा
8. राजस्व आंकिक
9. सिटीजन हेल्प लाइन
10. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण

11. अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम
12. प्रपत्र, लेखन सामग्री एवं मुद्रण
13. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

5. **श्री बी. आर. जुर्री, डिप्टी कलेक्टर**

1. प्रभारी अधिकारी वित्त/स्थापना
2. प्रभारी अधिकारी वाचक कलेक्टर
3. प्रभारी अधिकारी जिला नाजिर
4. प्रभारी अधिकारी सत्कार शाखा
5. प्रभारी अधिकारी भाड़ा नियंत्रक
6. प्रभारी अधिकारी शिकायत/सतर्कता/विभागीय जांच
7. प्रभारी अधिकारी जनदर्शन/जनसम्पर्क
8. प्रभारी अधिकारी व्यवहारवाद
9. प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ लिपिक अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक
10. प्रभारी अधिकारी पुनर्वास शाखा
11. भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने वाले प्रकरणों की जांच
12. सहायक अधीक्षक सामान्य, पुरातत्व/पर्यटन, आर.बी.सी. के प्रकरण, शोल्शियसम फंड/संजीवनी
13. आपदा एवं राहत शाखा
14. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

6. **श्री आर. जी. साहू, संयुक्त कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा**

**1. राजस्व**

1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अन्तर्गत तहसील कोरबा एवं करतला का क्षतिपूर्ति भुगतान.
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
9. व्यपवर्तन प्रकरण [ धारा 172 के तहत् (C.G.L.R.C.) ]

**2. आपराधिक**

1. कोरबा एवं करतला तहसील के लिये अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी [ धारा-133 एवं धारा-145 (C.R.P.C.) ] प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कोरबा एवं करतला तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. **विविध**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवास विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.
कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

7. **श्री जी. आर. राठौर, डिप्टी कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कटघोरा**

1. **राजस्व**

1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अन्तर्गत तहसील कटघोरा एवं पाली का क्षतिपूर्ति भुगतान.
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी- उपरोड़ा के लिए)
9. व्यपवर्तन प्रकरण [धारा 172 के तहत् (C.G.L.R.C.)]

2. **आपराधिक**

1. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिये अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी [धारा-133 एवं धारा-145 (C.R.P.C.)] प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. **विविध**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवास विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.
कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

**संयोजन अधिकारी**

| क्रमांक (1) | अधिकारी का नाम (2) | संयोजन अधिकारी का नाम (3) |
|---|---|---|
| 1. | श्री अभय कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर | श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर |
| 2. | श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर | श्री अभय कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर |
| 3. | श्री जी. आर. राठौर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा. | श्री बी. आर. जुर्री, डिप्टी कलेक्टर |
| 4. | श्रीमति हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त कलेक्टर | श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर |
| 5. | श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर | श्रीमति हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त कलेक्टर |
| 6. | श्री बी. आर. जुर्री, डिप्टी कलेक्टर | श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर |
| 7. | श्री राम जी साहू, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोरबा. | श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर |

**आर. पी. एस. त्यागी,**
कलेक्टर.